**राज कुमार**
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-13/2023- 174 /वि०स० । 24/01/24

प्रिय ..............................

सप्तदश बिहार विधान सभा का दशम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक-06 नवम्बर, 2023 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक-10 नवम्बर, 2023 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । दशम सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

**अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन**

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं । इसमें मुख्यत: प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, वित्तीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे एवं अन्य औपचारिक कार्य होंगे ।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में रोजगार, आवास, भोजन, उचित जीवन-स्तर, शिक्षा तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करने के मूलभूत अधिकार नागरिक समाज की अनिवार्य आधारशिला है । लोकतंत्र तभी चल सकता है जब जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे और शिक्षा आदि पाने के अवसरों में विषमता होगी, उसी हद तक समाज में लोकतंत्र निर्माण की क्षमता भी सीमित रहेगी । विधायिका का यही दायित्व है कि ऐसी विषमताओं को दूर करने हेतु विमर्श करें और सार्थक उपाय से सरकार को अवगत कराएं क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों और संसदीय परंपराओं का अधिकतम उपयोग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ।

शोर और शक्ति दबाव से अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है । संसदीय प्रणाली तभी सफल हो पाती है, जब लोकतांत्रिक मूल्यों को कार्यान्वित करने वाले लोग एक-दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करें । असहिष्णुता से प्रतिशोध की भावना जागृत होती है । यदि सभी निर्णय बहुसंख्यक दल के आधार पर ही किये जायं, अल्पसंख्यक दलों की भावनाओं का, इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो इससे लोकतंत्र निरर्थक हो जाता है । अत: लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ परंपराओं का सृजन तथा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । समाज में युवाओं को शिक्षित करना, रोजगार का सृजन करना और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है ।

मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाकर हम राज्यहित में बेहतर कार्य कर सकेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

**अध्यादेश**

वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

## अनुमत विधेयक

दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

**माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक**

| क्रमांक | विधेयक का नाम | अनुमति की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 | 01.08.2023 |
| | **महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक** | |
| 1. | बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 | 19.07.2023 |
| 2. | बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 | 21.07.2023 |

## वित्तीय कार्य

दिनांक-06 नवम्बर, 2023 को वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक-08 नवम्बर, 2023 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये, तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

## राजकीय कार्य

संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाति गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी तथा माननीय सदस्यों द्वारा अपना-अपना पक्ष रखा गया तदोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर सरकार का पक्ष रखा गया ।

## सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
3. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा-23(3) के तहत बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास काराधान अधिनियम, 1992 की धारा-12 के तहत बनाई गई बिहार अपहीन वनभूमि पुनरूद्धार एवं विकास काराधान नियमावली, 1992 की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

6. परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2006-07 से वर्ष 2017-18 तक के वार्षिक लेखा का पृथक अंकेक्षण प्रतिवदेन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

7. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवदेन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

9. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा-29(3) के तहत बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1993 की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

10. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-54 के तहत बनाई गई ''वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1983'' की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-64 के तहत बनाई गई बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1986; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) नियमावली, 2014 एवं बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

12. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।

## विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023
2. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023
3. बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
4. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023
5. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023
6. बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

## याचिका

इस सत्र में कुल 130 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 118 स्वीकृत हुए तथा 12 अस्वीकृत हुआ ।

## निवेदन

इस सत्र में कुल 170 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 168 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

**प्रश्न**

इस सत्र के दौरान कुल 891 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 739 प्रश्न स्वीकृत हुये । स्वीकृत 739 प्रश्नों में कुल 33 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए । 617 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 557 के उत्तर प्राप्त हुए, साथ ही 89 प्रश्न अतारांकित हुए ।

**ध्यानाकर्षण सूचना**

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 128 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 116 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 04 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

**शून्यकाल**

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

**गैर सरकारी संकल्प**

इस सत्र में कुल 100 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 98 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 98 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये ।

**शोक प्रकाश**

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी, पूर्व स०वि०प०,
2. स्वर्गीय महेन्द्र नारायण झा आजाद, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय विजय कुमार यादव, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय परवीन अमानुल्लाह, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय अनन्त कुमार सत्यार्थी, पूर्व स०वि०स०
6. स्वर्गीय राजीव नन्दन, पूर्व स०वि०स०
7. स्वर्गीय अर्जुन मंडल, पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय रामधनी सिंह, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय विभूति कवि, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

**सधन्यवाद**

आपका विश्वासी

सेवा में,

..........................................

..........................................

..........................................

(राज कुमार)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।